संख्या-14/2021-219/58-2021-49/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2021**

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित हाइटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की स्थापना की परियोजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में अवशेष धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-527/आर.के.वी.वाई./हाईटेक नर्सरी/2020-21, दि0 27.01.2021, एवं कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-35/12-3-2021-100(37)/2017टीसी, दि0 22.01.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित ''हाइटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की स्थापना (मिनी सेन्टर आफ एक्सीलेंस)'' परियोजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में जनपद मऊ की अवशेष धनराशि रु058.502 लाख के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में द्वितीय किश्त की धनराशि रु0-23.40 लाख (रुपये तेइस लाख चालिस हजार मात्र) व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मानक मद	वर्ष 2020-21 हेतु अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हाईटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की	11	अनुदान सं0-11 लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800- अन्य व्यय- 02-राष्ट्रीय कृषि विकास	6.502	3.90	3.90	2.602	2.60

http://shasanadesh.up.gov.in

	स्थापना		योजना (के060/रा040-के0 + रा0)-0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें (के060/रा040-के0 + रा0) 24-वृहद निर्माण कार्य					
2		83	अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के060/रा040-के0 + रा0)-0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें (के060/रा040-के0 + रा0) 24-वृहद निर्माण कार्य	52.00	31.20	31.20	20.800	20.800
	योग			**58.502**	**35.10**	**35.10**	**23.402**	**23.400**

(रूपये तेइस लाख चालिस हजार मात्र)

(1) कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-35/12-3-2021-100(37)/ 2017टी0सी0, दिनांक 22 जनवरी, 2021 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्ताव/आगणन लोक निर्माण विभाग के अद्यतन शिड्यूल्ड ऑफ रेट की दरों पर गठित किया गया है। आगणन में मिट्टी भराई के संबंध में आवश्यकता एवं औचित्य तथा दरों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) आगणन में जहां बाजार की दरें प्रस्तावित की गयी हैं, उनके संबंध में दरों के आधार एवं औचित्य का इस संबंध में दिये गये नियमों मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार परीक्षण किया जायेगा।

(4) आगणन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 की गणना सेंटेज चार्ज को हटाकर की जाय। उपरोक्त के साथ-साथ सी0वी0सी0 गाईड लाईन/जी0एफ0 रूल्स/थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन में दी गयी तत्संबंधी व्यवस्था तथा प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं औचित्य का परीक्षण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2- 2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.8.2014 में दी गयी व्यवस्था/ प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए वित्त नियंत्रक, उद्यान तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(9) निदेशक उद्यान इस संबंध में निर्धारित प्राविधान/प्रक्रिया/नियम इत्यादि का अनुपालन करते हुए सदुपयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

(8) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

(9) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

<u>संख्या-14/2021-219(1)/58-2021 तद्दिनांकः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(6) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(8) वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-1
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in